## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 413–दो/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 07–01–14 पारित अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 284/11–12 अपील.

1– रघुवीरसिंह पुत्र दौलतसिंह दांगी
2– राजेन्द्र सिंह पुत्र दौलतसिंह दांगी
3– शिवराज सिंह पुत्र दौलतसिंह दांगी
समस्त नि0 ग्राम कुकावली, तह0 मुंगावली,
जिला अशोकनगर, म0प्र0 ––– आवेदकगण

विरूध्द

1– गोपीबाई बेवा फूलसिंह दांगी
2– सीताराम पुत्र फूलसिंह दांगी
3– प्रकाश पुत्र फूलसिंह दांगी
4– रघुराज पुत्र फूलसिंह दांगी
समस्त निवासी ग्राम बेसरा करोई
तह0 बीना, जिला सागर, म0प्र0 ––– अनावेदकगण

श्री सुनीलसिंह जादौन, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री वी0एस0 धाकड़, अभिभाषक अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 5/ अक्टूबर 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के अपील प्रकरण कमांक 284/11–12 में पारित आदेश दिनांक 07–01–14 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण रघुवीरसिंह आदि व्दारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें यह भी अंकित किया कि वसीयत के आधार पर वसीयतग्रहिता को नामान्तरण कराने का हक है और इसमें वसीयतकर्त्ता के परिवार व बच्चों के लिये कोई परेशानी नहीं है और ना ही कोई आपत्ति है। तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबध्द कर इश्तहार जारी करने तथा हितबध्द पक्षकारों को तलब करने के आदेश दिये और प्रकरण 03–06–04 को नियत किया। तहसीलदार के समक्ष नियत दिनांक 03–06–04 को हितबध्द पक्षकार उपस्थित हुए और उन्होंने सहमति के कथन अंकित कराये और नामान्तरण में कोई आपत्ति नहीं होना बताया। तहसीलदार ने प्रकरण आवेदक की साक्ष्य व वसीयतनामा के साक्षी हेतु नियत किया। तहसीलदार ने वसीयतनामा के साक्षियों एवं आवेदक की साक्ष्य लेने के बाद प्रकरण बहस हेतु नियत किया और तत्पश्चात अपने आदेश दिनांक 14–06–04 व्दारा ग्राम अमरोद की भूमि सर्वे नं0 20/1 रकबा 19.238 हे0 में से 6.706 हे0 एवं सर्वे नं0 24/1 रकबा 3.857 हे0 में से 1.928 हे0 पर आवेदकगण का वसीयत के आधार पर नामान्तरण करने के आदेश दिये।

3/ उक्त आदेश के विरूध्द अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील 13–07–2011 को प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण ने सी पी सी के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया कि स्वयं सीताराम, प्रकाश तथा रघुराज पुत्रगण फूलसिंह ने तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदनपत्र दिया है कि मुताबिक वसीयतनामा नामान्तरण कर दिया जावे। वसीयतनामा पूर्ण सत्य है। तहसीलदार ने लिखित सहमति के आधार पर आदेश पारित किया है जिसके विरूध्द अपील प्रचलन योग्य नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष को सुनने के बाद अपने आदेश दिनांक 27–12–2011 में यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलाट/अनावेदक सीताराम, प्रकाश एवं रघुवीरसिंह व्दारा दिये गये कथनों

एवं जबाव में स्पष्ट रूप से उनके पिता फूलसिंह पुत्र शंकरसिंह व्दारा रघुवीरसिंह, राजेन्द्रसिंह एवं शिवराजसिंह के पक्ष में वसीयतनामा लिखा जाना तथा वसीयत पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। वसीयतनामा वसीयत के साक्षियों के साक्ष्य से शंका से परे पाया गया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी ने अपील खारिज की।

4/ अनावेदकगण व्दारा व्दितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 07–01–14 में यह निष्कर्ष निकाला है कि फूलसिंह की मृत्यु के बाद नामान्तरण पंजी में वारिसान हक में नामान्तरण किया जा चुका था और इस नामान्तरण को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो गया है। उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि वसीयत के आधार पर नामान्तरण का दावा विलम्ब से प्रस्तुत किया गया, इसलिये वसीयत की जॉच सूक्ष्मता और गम्भीरता से की जाना थी जो नहीं की गयी। अतः अपर आयुक्त ने अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये हैं। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

5/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा विव्दान अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक ने लिखित बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वसीयतनामा फूलसिंह व्दारा वारिसान के समक्ष लिखाया गया व सहमति के हस्ताक्षर भी वसीयतनामा पर वारिसान ने किये थे। वसीयतग्रहिता वसीयतकर्त्ता के रिश्ते में चाचा थे और उनके पास पर्याप्त जमीन थी। तहसील न्यायालय में अनावेदकगण ने वसीयत के आधार पर नामान्तरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और शपथपत्र पर कथन भी अंकित कराये हैं जिसमें वसीयत के आधार पर नामान्तरण किये जाने की सहमति प्रदान की गयी है। वसीयत लेखक एवं वसीयत के साक्षियों के भी कथन कराये गये हैं। तहसीलदार ने सहमति होने व वसीयत साक्ष्य से प्रमाणित होने से नामान्तरण के आदेश दिये

हैं। उनका तर्क है कि आवेदकगण व्दारा प्रश्नाधीन पडत भूमि को आबाद करके उपजाऊ बनाने के बाद सहमति आदेश के विरूध्द लगभग 7 वर्ष पश्चात अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार प्रचलन योग्य नहीं थी, किन्तु अपर आयुक्त व्दारा उक्त प्रावधानों को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में उन्होंने 1978 रा.नि. 222, 2007 रा.नि. 359 तथा 1964 रा.नि. 109 के न्यायदृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं। उनका तर्क है कि वसीयत के आधार पर आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि पर स्वत्व प्राप्त हैं तथा जिन वारिसान का नामान्तरण किया गया है, उन्हीं की सहमति से तहसीलदार ने नामान्तरण किया है, इसलिये नामान्तरण पंजी में किया गया नामान्तरण अपने आप में शून्य है और अपर आयुक्त व्दारा तकनीकी आधार पर अपील स्वीकार करने में त्रुटि की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

6/ आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत लिखित बहस की प्रति अनावेदकगण के अभिभाषक को दिनांक 16–09–14 को प्रदान की गयी और उन्हें लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु 7 दिवस का अवसर दिया गया। अनावेदकगण ने लिखित बहस में तर्क प्रस्तुत किया है कि अनावेदकगण के पति एवं पिता की मृत्यु होने पर नामान्तरण पंजी क0 6 पर दिनांक 31–01–1995 को वारिसान नामान्तरण स्वीकार किया गया। आवेदकगण व्दारा नामान्तरण के समय कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी और ना ही नामान्तरण आदेश के विरूध्द कोई निगरानी/अपील की गयी, इसलिये यह अंतिम हो गया है। तहसीलदार व्दारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण करने के पूर्व इश्तहार एवं हितबध्द पक्षकारों को सूचनापत्र जारी नहीं किये गये। उनका तर्क है कि अनावेदकगण की फर्जी हस्ताक्षर कर सहमति दर्शायी गयी है। वसीयत दिनांक 22 05–1991 पर अनावेदकगण के पति एवं पिता का अंगूठा लगाकर फर्जी वसीयत तैयार की गयी है तथा अनावेदक सीताराम, प्रकाशसिंह, रघुराज के फर्जी हस्ताक्षर कर सहमति दर्शायी गयी है। वसीयतकर्त्ता फूलसिंह हस्ताक्षर करते थे। इस संबंध

में उन्होंने पुस्तिका क0 736861, वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति मर्या0 एवं पावती रसीद 6360 की फोटो प्रतियॉ प्रस्तुत की गयी है। उनका तर्क है कि 9 वर्ष बाद वसीयत के आधार पर कार्यवाही की गयी है जो सन्देह उत्पन्न करती है। उन्होंने मेरा ध्यान 1991 रा0नि0 135, 1998 रा.नि. 147 तथा 1970 रा.नि. 469 की ओर आकर्षित करते हुए निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया है।

7/ तहसील न्यायालय के अभिलेख एवं आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण सीताराम, प्रकाश एवं रघुराज पुत्रगण फूलसिंह व्दारा आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है जो तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 7 पर उपलब्ध है जिसमें उन्होंने यह अंकित किया गया है कि--

" . . . हमारे पिता श्री फूलसिंह पुत्र शंकरसिंह जी व्दारा जो वसीयत 22—5—1991 को रघुवीरसिंह, राजेन्द्रसिंह, शिवराजसिंह पुत्रगण दौलतसिंह जाति दांगी निवासी कुकावली के हित में भूमि स्थित खाता ग्राम अमरौद में सर्वे नं0 20/1 में रकबा 19.239 हे0 भूमि में से तीनों भाईयों को 1/3 बराबर हिस्सा 6.706 हेक्टर भूमि वसीयत की है व दूसरा सर्वे नं0 24/1 में रकबा 3.857 हेक्टर भूमि में से रकबा 1.928 हेक्टर भूमि तीनों भाईयों को 1/3 बराबर हिस्सा वसीयत की गई थी। जो वसीयत हम तीनों भाईयों व गवाहियों के समक्ष लिखी गई थी जो पूर्णतः सत्य व वैध है। मेरे पिताजी के नाम से ग्राम बेसरा जिला सागर में भूमि है जो हम भाईयों के लिये पर्याप्त है। अतः इस वसीयतनामा से हम भाईयों व परिवार वालों के लिये कोई आपत्ति नहीं है। अतः वसीयतग्रहिताओं के हित मे नामान्तरण किया जावे।"

वसीयत तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 8-9 पर संलग्न है। वसीयत के दूसरे पृष्ठ पर वसीयतकर्त्ता फूलसिंह पुत्र शंकरसिंह के निशानी अंगूठे के नीचे वसीयतकर्त्ता के पुत्रगण सीताराम, प्रकाशसिंह तथा रघुराज के हस्ताक्षर हैं। इससे स्पष्ट है कि वसीयतकर्त्ता फूलसिंह व्दारा वसीयत

अनावेदकगण सीताराम आदि की उपस्थिति में आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित की गयी। तहसीलदार ने वसीयत के आधार पर नामान्तरण करने के पूर्व वसीयतनामा के साक्षी मेहरबान सिंह तथा पर्वतसिंह के कथन लिपिबध्द किये हैं। तहसीलदार व्दारा अनावेदकगण प्रकाश, सीताराम एवं रघुराज के बयान भी लिपिबध्द किये गये हैं जो तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 14 से 16 पर उपलब्ध हैं। अपने बयानों में अनावेदकगण व्दारा वसीयतनामा आवेदकगण के पक्ष में उनके पिता व्दारा किया जाना और उससे सहमत होना तथा कोई उजर नहीं होना बतलाया है। सीताराम ने अपने बयान में यह भी कहा है कि 'हम वारिसान के नाम भूलवश नामान्तरण हो गया है जिसको दुरूस्त किया जाकर मुताबिक वसीयतनामा वसीयतग्रहितागण का नाम नामान्तरण किया जावे जिसमें हमे व किसी अन्य को कोई आपत्ति नहीं है। अनावेदक रघुराजसिंह ने भी अपने बयान में यह कहा है कि 'वसीयतग्रहितागण को वसीयतनामा मेरे पिता स्वर्गीय फूलसिंह ने किया था जिसकी मुझे जानकारी है, इस भूमि पर पंचायत की गलती से हम वारिसान के नाम चढ़ गये हैं, जो गलत हैं। वसीयतनामा ग्राम अमरोद की भूमि सर्वे नं0 20/1 व 24/1 में से लगभग 32 बीघा व 9 बीघा भूमि का किया गया था जिसका नामान्तरण वसीयतनामा के आधार पर किया जाने में हम वारिसान व अन्य किसी को कोई आपत्ति नहीं है।' यही बात अनावेदक प्रकाश ने अपने बयान में अंकित करायी हैं। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने वसीयत न सिर्फ वसीयत के साक्षियों की साक्ष्य से प्रमाणित होने बल्कि वसीयत के आधार पर नामान्तरण करने की अनावेदकगण की लिखित व शपथ पर बयान में सहमति होने से नामान्तरण के आदेश दिये गये। यह आदेश पूर्णतः सहमति के आधार पर पारित किया गया था। इस सहमति आदेश के विरूध्द नियत समयावधि में अनावेदकगण व्दारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की गयी, बल्कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 14-06-04 के विरूध्द अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 13-07-11 को अर्थात लगभग 7 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गयी।

सहमति आदेश के विरूध्द प्रस्तुत अपील किस प्रकार प्रचलन योग्य थी. इस संबंध में अपर आयुक्त ने अपने आदेश में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है, जबकि अपर आयुक्त व्दारा सर्वप्रथम इस बिन्दु का निराकरण करना चाहिये था।

8/ अनावेदकगण व्दारा अपीलीय न्यायालयों अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के समक्ष वसीयतकर्त्ता फूलसिंह व्दारा हस्ताक्षर करने के तथ्य को नहीं उठाया गया और ना ही इस संबंध में अपीलीय न्यायालयों में कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया, इस कारण निगरानी में उठाया गया यह तर्क 'बाद का विचार' होने से निगरानी में मान्य किये जाने योग्य नहीं है। यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 109/110 तथा नामान्तरण नियमों के नियम 32 के अनुसार राजस्व न्यायालय व्दारा नामान्तरण स्वत्व के आधार पर संक्षिप्त जॉच के पश्चात किये जाते हैं। अनावेदकगण ने उनके पिता फूलसिंह व्दारा आवेदकगण के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि वसीयत करना स्वीकार किया है और अपने बयानों में स्वयं त्रुटिवश नामान्तरण पंजी में नामान्तरण होना बताया है और वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण करने में सहमति प्रदान की, इस कारण जिन वारिसान का नामान्तरण पंजी में किया गया है, उन्हीं की सहमति से तहसीलदार ने नामान्तरण किये जाने से नामान्तरण पंजी में किया गया नामान्तरण अपने आप में शून्य है। अपर आयुक्त व्दारा तकनीकी आधार पर बिना अभिलेख/साक्ष्य का अवलोकन किये अपील स्वीकार करना विधिसंगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि नामान्तरण सिर्फ अभिलेख को अद्यतन रखने की प्रकिया है और नामान्तरण से किसी व्यक्ति को स्वत्व प्राप्त होते हैं। अनावेदकगण के वसीयत पर हस्ताक्षर हैं और उन्होंने लिखित आवेदन एव अपने कथनों में वसीयतकर्त्ता फूलसिंह व्दारा आवेदकगण के पक्ष में वसीयत करना व वसीयत सही होना बतलाया है, तब बिना किसी आधार के वसीयत सिर्फ विलम्ब से प्रस्तुत करने के आधार पर उसे संदिग्ध होना नही माना जा सकता। इस प्रकरण के तथ्य 1991 रा.नि. 135 तथा 1998 रा.नि. 147 के

न्यायदृष्टान्तों से भिन्न हैं, इस कारण इस प्रकरण में लागू मानने में विव्दान अपर आयुक्त ने त्रुटि की है। जैसा कि ऊपर विवेचना की जा चुकी है कि इस प्रकरण में वसीयत फर्जी या कूटरचित होने संबंधी कोई आपत्ति तहसील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी, बल्कि अनावेदकगण सीताराम, प्रकाश एवं रघुराज व्दारा वसीयत उनके पिता फूलसिंह व्दारा आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित करना व वसीयत सही होना लिखित आवेदन एवं बयान में दर्शाया, तब उसे केवल विलम्ब से प्रस्तुत करने के आधार पर संदिग्ध होना नहीं माना जा सकता।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 07–01–14 निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 27–12–11 तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 14–06–04 यथावत रखे जाते हैं।

( एम0के0सिंह )
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,